प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

सत्यमेव जयते

PM/VI/2012-13/OG-GO/

दिनांक / Date :

To
The Director of Treasuries and Accounts
4th floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
Hyderabad

Sir,

Sub:- Forwarding of grant of DR rates from 01.01.2012 @ 65% from 01.01.2012
Ref:- 1.Principal Accountant General, (A&E) Jharkhand No Pen III/DR/-Jharkhand/SSA 18/2012-13/1092 dt 04.05.2012
2. Jharkhand Government, Finance Department No 6A(DR)-03/01-923 DT 27.04.2012.

***

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Principal Accountant General (A&E), Jharkhand in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr Accounts Officer

Copy To
Joint Director,
M J Road, Jambagh
Pension Payment Office,
Nampally,
Hyderabad for information and necessary action.

Sr Accounts Officer

दू०भा०/ Phone : 040-23236810-19, ई-मेल / E-mail : agaeAndhrapradesh@cag.gov.in
Web Site : http://ag.ap.nic.in फैक्स / Fax : 040-23232441 तार / Grams : Accounts

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड का कार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), JHARKHAND

No. PEN-III-/DR/Jharkhand/SSA No. 18 /2012-13/ 1092 Dated:- 04/05/2012

SPECIAL SEAL AUTHORITY

To,

1	Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hyderabad	500463
2	Director of Audit & Pension Govt of Arunachal Pradesh, Naharlagun	791110
3	Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidamgaon, Beltola, Guwahati	781029
4	Accountant General (A&E), Bihar, Birchand Patel Marg, R-Block, Patna	800001
5	Accountant General (A&E),Chatisgarh, 12/27, Raman Mandir Ward, Bilaspur Road, Fafadih Raipur	492009
6	Deputy Director of Accounts / P.A.I. Govt of Goa Directorate of Accounts, Pension Section, Panji, Goa	403101
7	Accountant General (A&E), Gujrat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad	380009
8	Accountant General (A&E), Haryana, Lekha Bhawan, Plot No.4&5, Sector-33-B, Chandigarh	160047
9	Senior Deputy Accountant General (A&E), Himachal Pradesh, Gorton Castle Building, Shimla	171003
10	Principal Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground, Srinagar	190009
11	Principal Accountant General (A&E), Karnataka, Residency Park Road, Post Box No.5329/5369 Bangalore	560001
12	Accountant General (A&E), Kerla, Post Box No.5607, M.G. Road, Thiruvananthapuram	695039
13	Accountant General (A&E), Madhya Pradesh, Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior	474002
14	Principal Accountant General (A&E), Maharashtra, 2nd Floor, Pratishtha Bhawan,New Marine Lines, Maharshi Karve Road, Mumbai	400020
15	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line, Nagpur	440001
16	Senion Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
17	Accountant General (A&E), Meghalaya, Shilong	793001
18	Accountant General (A&E), Mizoram, Shri Bualhranga Building, Dinthar Aizawl	796001
19	Senior Deputy Accountant General (A&E), Nagaland, Kohima	797001
20	Accountant General (A&E), Orissa, Bhubaneswar	751001
21	Accountant General (A&E), Punjab &Union Territory of Chandigarh, Sector-17E, Chandigarh	160017
22	Principal Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhagwan Das Road, Jaipur	302005
23	Senion Deputy Accountant General (A&E),Sikkim, Lekha Pariksha Bhavan, Deorali, PO-Tadong,Gangtok	737102
24	Accountant General (A&E), Tamil Nadu 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
25	Senion Deputy Accountant General (A&E), Tripura PO-Kunjaban, Agartala	799006

-Contd..

पो. डोरण्डा, राँची - 834 002 (झारखण्ड) P.O. Doranda, Ranchi - 834 002 (JHARKHAND)
दूरभाष / Telephone : 2412942, 2412582 तार / Telegram : PRINACCTTS RANCHI फैक्स / Fax : 0651-2411745
E-mail : agaeJharkhand@cag.gov.in

26	Accountant General (A&E), Uttar Pradesh, 20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad	211001
27	Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road Majra,Dehradun	248171
28	PrincipalAccountant General (A&E),West Bengal, Treasury Buildings, No.2, Govt Place(West) Kolkata	700001
29	Director of Accounts and Treasuries, Govt. of Pondicherry, Pondicherry	605001
30	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3rd Floor,Akbar Bhavan, New Delhi	110007
31	Pay & Accounts Officer (V),Delhi Administration,TIS Hazar, New Delhi	110124
32	Chief Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu Akabar Bhavan,Chanakyapuri, New Delhi	110021

Sub:-1.Rectification of rate of Dearness Allowances payable to State Govt. servant w.e.f.- 01-01-2012.

2.Enhancement in rate of Dearness Relief to the State Govt. pensioners/family Pensioners w.e.f.- 01-01-2012 (Enhanced from-58% to 65%).

Sir,

I am to enclose herewith the copy of Government of Jharkhand, Finance Department Memo No.वि प्र **6 A (Dearness Relief)-03/01/923/वि & 03/09/924** Dated **27/04/2012** on the subject stated above under Special Seal Authority for your information and immediate circulation among all Pension Disbursing Authorities under your jurisdiction.

Receipt of the above Special Seal Authority may please be acknowledged.

Yours faithfully

Encl:-As Stated above

Sr. Accounts Officer/Pen-III
Jharkhand, Ranchi

Fin-3/DR Dy No-(12-13)- 84

संख्या : वि॰प्र॰ 6ए (म॰भ॰)–03/01 ... 923/वि॰

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची, दिनांक 27-4-12

संकल्प

विषय : राज्य सरकार के सेवकों को दिनांक 01 जनवरी, 2012 के प्रभाव से देय महँगाई भत्ते की दरों में संशोधन।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि॰, दिनांक 28.02.2009 द्वारा राज्य सरकार के सेवीवर्ग को केन्द्र सरकार के कर्मियों की भाँति दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान/वेतन संरचना की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका–15 (ई॰) के अनुसार राज्य कर्मियों को केन्द्रीय दर पर महँगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय) के पत्र संख्या–1(1)/2012–ई–II (बी॰), दिनांक 03.04.2012 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान/वेतन संरचना में दिनांक 01.01.2012 के प्रभाव से महँगाई भत्ते की मौजूदा दर को 58% (अनठावन प्रतिशत) से बढ़ाकर 65% (पैंसठ प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत किया गया है।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के निर्णय के अनुरूप राज्य सरकार ने भी अपने सेवीवर्ग को दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान/वेतन संरचना में दिनांक 01.01.2012 के प्रभाव से मूल वेतन का 65% (पैंसठ प्रतिशत) महँगाई भत्ता के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।

4. झारखंड सेवा संहिता के नियम–34(ए) में यथा परिभाषित मूल वेतन पर महँगाई भत्ता देय होगा, किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन इत्यादि पर महँगाई भत्ता देय नहीं होगा।

5. कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग के प्राधिकार–पत्र के बिना प्रतीक्षा किये देय भुगतान औपबंधिक आधार पर तत्काल किया जायेगा।

6. महँगाई भत्ता की स्वीकृति के कारण भुगतेय राशि में यदि 50 पैसे या उससे अधिक गणना आती हो, तो अगले उच्चतर रुपये में इसे पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़कर दिया जायेगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखंड, राँची को प्रेषित किया जाये।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

Sukhdev 27/4/12

(सुखदेव सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

D.R. By No Pen III (12-13) 41 dt. 2/5/12

संख्या : वि॰प्र॰ 6ए (म॰भ॰)–03/09......924/वि॰

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची/दिनांक 27-4-12

संकल्प

विषय : राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जनवरी, 2012 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि॰, दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को केन्द्र सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों की भांति दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से केन्द्रीय पेंशन/ पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका–17(ए॰)(बी॰) के द्वारा केन्द्रीय सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों के अनुरूप दिनांक 01.01.2006 से राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण एवं अन्य सुविधाऐं सहित महँगाई राहत प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

2. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग के पत्र संख्या–42/13/2012 पी॰ एण्ड पी॰ डब्लू॰ (जी॰) दिनांक 04.04.2012 के द्वारा केन्द्रीय पेंशन/पारिवारिक पेंशनधारियों को पुनरीक्षित पेंशन में दिनांक 01.01.2012 के प्रभाव से 58% (अनठावन प्रतिशत) से बढ़ाकर 65% (पैंसठ प्रतिशत) महँगाई राहत के रूप में स्वीकृत किया गया है।

D.R.

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्रीय सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनधारियों के अनुरूप राज्य सरकार ने भी राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01.01.2012 के प्रभाव से महँगाई राहत 58% (अनठावन प्रतिशत) से अभिवृद्धि कर 65% (पैंसठ प्रतिशत) महँगाई राहत के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।

Office of the Accountant General (A&E) Jharkhand
03 MAY 2012
Ranchi - 834002

4. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना पुनरीक्षित पेंशन अथवा दिनांक 01.01.2006 के पश्चात सेवानिवृत्त के समय प्राधिकृत पेंशन के समेकित पेंशन राशि पर किया जायेगा।

5. महँगाई राहत की स्वीकृति के कारण भुगतेय राशि में यदि 50 पैसे या उससे अधिक गणना आती हो, तो अगले उच्चतर रुपये में इसे पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

6. पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर आदेय महँगाई राहत का भुगतान करते समय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3556/वि॰, दिनांक 09.05.1991 में समाविष्ट निदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त स्थितियों को छोडकर महँगाई राहत शेष सभी असैनिक पेंशन भोगियों को देय होगा, जिन्हें क्षतिपूर्ति/बार्धक्य निवृत्ति/असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक/पारिवारिक/असाधारण पेंशन पाने वाले को भी आदेय महँगाई राहत का भुगतान अनुमान्य होगा।

Pen 3
L-3960

Sukhdev
2/5/12

(26)

7. पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलंब के परिहार्य हेतु बिहार कोषागार संहिता भाग–I के नियम–344 (I) के तहत राज्य के अंतर्गत बिना महालेखाकार, झारखंड के प्राधिकार के ही भुगतान का आदेश दिया जाता है। पेंशन भोगियों, द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी, महँगाई राहत की राशि का भुगतान करेंगें। साथ ही, सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि बैंको के माध्यम से पेंशन का भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को त्वरित भुगतान कराने हेतु संबंधित सभी बैंकों को इसकी प्रतियां भेज दिये जाये।

8. राज्य के बाहर आदेय महँगाई राहत की निकासी केवल महालेखाकार, झारखंड के प्राधिकार पर ही किया जायेगा। इस हेतु महालेखाकार, झारखंड से अनुरोध है कि सभी संबंधित महालेखाकार को इस हेतु अविलंब प्राधिकृत कर दिया जाय तथा इसकी सूचना झारखंड सरकार, वित्त विभाग को भी दी जाय।

9. दिनांक 01 जनवरी, 2012 के प्रभाव से स्वीकृत इस महँगाई राहत की राशि का भुगतान करते समय पूर्ववर्ती कंडिकाओं में निहित सभी प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय। भुगतान के समय भुगतान की जाने वाली महँगाई राहत की राशि शुद्धता की जाँच कर लेना भुगतान करने वाले पदाधिकारियों का दायित्व होगा।

आदेश : **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी कोषागार/उप–कोषागार एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जाये।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

Sukhdev 23/4/12

(सुखदेव सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : वि॰प्र॰ 6ए (म॰भ॰)–03/09 924/वि० **राँची, दिनांक** 27-4-12

प्रतिलिपि : सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इस संकल्प का प्रकाशन झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में करें और राजपत्र की 100 प्रतियां वित्त प्रशाखा–5 को उपलब्ध करावें।

Sukhdev 23/4/12

(सुखदेव सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : वि॰प्र॰ 6ए (म॰भ॰)–03/09 924/वि० **राँची, दिनांक** 27-4-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sukhdev 23/4/12

(सुखदेव सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

2/5/12
176